न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 23/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2017/00125

उनवान

ख्यालीराम पुत्र पातीराम आयु करीब 51 वर्ष जाति धोबी निवासी ग्राम देवखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. चरन सिंह
2. पप्पू
3. टिल्ला
4. श्रीमती छोटी
5. श्रीमती रज्जो

पुत्र एवं पुत्रीया ल्होरे जातिगण धोबी निवासीगण ग्राम देवखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

6. अंशू
7. सुनैना
8. सोना

पुत्र एवं पुत्रीया रामवीर नाबालिगान व सरपरस्ती मॉ श्रीमती ऊषा पत्नी रामवीर जाति धोबी निवासी ग्राम देवखेडा तहसील राजाखेडा।

9. ऊषा वेवा रामवीर समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम देवखेडा तहसील राजाखेडा।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा दि0 15.12.2016 मि.नं. 09/16 उनवानी ख्यालीराम बनाम श्रीमती किरन देवी।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मुकेश कमठान उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री किशन सिंह त्यागी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–23.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

आराजी वाके ग्राम देवखेडा में वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि वादी अपीलाण्ट ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सहखातेदारो के विरूद्ध ही दावा प्रस्तुत किया गया था। जमाबन्दी में मृतक प्रतिवादी संख्या 01 व 04 के नाम अंकित थे। अतः यह सदभावी चूक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 में दावे को खारिज नहीं करना चाहिये था एवं ना ही तकनीकी आधार पर ही दावे को खारिज किया जा सकता है। मृतक प्रतिवादी के वारिस पूर्व से ही रिकार्ड पर थे। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से दावा वादी खारिज करने में भूल की है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर एआईआर 1978 आन्ध्र प्रदेश पेज 279, आरआरडी 1989 पेज 456,, 2018 पेज 263, एआईआर 1982 मुम्बई पेज 589, 1984 पेज 77 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। पक्षकारान एक ही गॉव एवं एक ही जाति के व्यक्ति हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें मृतक का पता नहीं हो। इसके अलावा अपीलाण्ट ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वादकरण अंकित किया है। मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध वादकरण संशोधित नहीं हो सकता है। दावा मिस जोइन्डर एवं नॉन जोइन्डर के आधार पर खारिज हो सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा मृत व्यक्तियों के विरूद्ध दायर किया गया था। जिस पर रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

जाकर, अपीलाधीन आदेश से वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। हम अपीलाण्ट के इस तर्क से तो सहमत हैं कि दावा नॉन जोइन्डर ऑफ पार्टीज अथवा मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने अपने दावे में वादकरण मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध बताया गया है। अतः दावे में वादकरण का संशोधन नियम एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में नहीं हो सकता। दौराने बहस हम रैस्पो0 के इस तर्क से सहमत हैं कि एक ही गॉव एवं एक ही जाति के व्यक्ति को किसी व्यक्ति के फौत होने की सूचना प्राप्त ना हो, ऐसा सम्भव नहीं है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट ने वादकरण पैदा हुये बिना दावा प्रस्तुत किया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से दोनों पक्षो को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये, खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं। अपीलाण्ट चाहे तो नये सिरे से दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विभाजन के प्रकरण में रेसजूडिकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.12.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर